23.3.2021 | वकील फरीकेन उपस्थित। पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.05.25 16:55:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट करौली

पीठासीन अधिकारी :— देवेन्द्र सिंह परमार, आर.ए.एस.

मु०नं०
30 / 2009

आर.सी.एम.एस
2009 / 00020

तारीख रजू
13.04.2009

1. पप्पू
2. डल्ला
3. प्रकाश

पुत्रान गोली जातियान माली निवासीयान धोवीधह करौली

4. मुस.पन्नी पत्नि गोली
5. गोपाल लाल पुत्र कुण्डेरी जाति ब्राहमण निवासी इन्द्रा कॉलोनी

वादीगण

बनाम

1. देवेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा जाति ब्राहमण निवासी कोडर हाल गुलाब वाग एल.आई.सी. ऑफिस के पास करौली
2. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र स्वं श्री गंगाचरण शर्मा जाति ब्राहमण निवासी चौवे पाडा करौली तहसील करौली जिला करौली।

प्रतिवादीगण

दावा 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक 23.03.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने यह वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नम्बर 5168,5170,5172 लगायत 5175,5177 लगायत 5180,5187,5188,5190 लगायत 5197 कुल किता 20 कुल रकवा 7 वीघा 5 विस्वा ग्राम करौली तहसील करौली में स्थित है जिसे वादीगण अपने हिस्से अनुसार काश्त करते चले आ रहे है और मौके पर काबिज है तथा लगान सरकार में जमा करवाते आ रहे है प्रतिवादीगण का उक्त आराजीयात से किसी प्रकार का कोई ताल्लुक व सरोकार नही है उक्त भूमि से लगी हुई भूमि खसरा नम्बर 5205 ता 5207 अन्य खसरा नम्बरान के साथ प्रतिवादीगण ने साविक खातेदारान से खरीद करना बताया है खसरा नम्बर 5205 ता 5207 की ओर हम वादीगण की आराजी खसरा नम्बर 97,91,90 की भूमि का रकवा निकल रहा है ट्रेस में अंकित वरंग सुर्ख जमीन हम वादीगण की मौके पर है प्रतिवादीगण अपने खेतों में एल.एन.टी. चलवा कर वादीगण की भूमि वरंग सुर्ख को खोद कर अनाधिकार अपनी जमीन में मिलाने के प्रयास में है और दिनांक 05.04.2009 को प्रतिवादीगण वरंग सुर्ख भूमि पर एल.एन.टी लेकर आयगये और खुदाई करने लगे वादीगण ने मना किया कि यह जमीन [illegible] है। इसमें आप एल.एन.टी. मत चलवाओं तो प्रतिवादीगण इस जमीन को अपनी बताने [illegible] वादीगण ने कहा कि आप हमारे खाते की भूमि व आपकी भूमि की नाप करालो [illegible] सुर्ख जमीन आपकी सावित हो आप एल.एन.टी. चल[illegible] मानने से इन्कार कर दिया औश्र कहा कि हम तो ताकत के वल पर आपके कब्जे [illegible] भूमि वरंग सुर्ख में एल.एन.टी. चलाकर रहेगे प्रतिवादीगण के इस कृत्य से हकूक वादीगण पर भारी कुंठाराधात है मौके पर वादीगण की जमीन निकल रही है जिस पर वह काबिज है जिसे प्रतिवादीगण ताकत के बल पर हडपना चाह रहे है इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.05.25 16:55:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पाबन्द कराने के अधिकारी है। अन्त में दावा वादीगण ड्रिकी किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलत किया गया।

प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर जबाव दावा प्रस्तुत कर वादीगण के वाद पत्र को अस्वीकार कर कथन किया है कि प्रतिवादीगण की भूमि वाद ग्रस्त स्थल पर खसरा नम्बर 5205 ता 5207,5198,ता 5201 व अन्य कई खसरा नम्बर खातेदारी के है खसरा नम्बर 97,91,90 का काई रकवा हमारी तरफ नही निकल रहा है एंव दावे में वरंग सुर्ख जमीन खसरा नम्बर 5205 का हिस्सा है जो प्रतिवादी की भूमि है वादीगण के खतेदारी की भूमि अलग है जिस पर वादीगण काबिज है और वादीगण ज्यादा भूमि पर काबिज है केवल हम प्रतिवादीगण की भूमि को दवाने की वदनीयति से यह झूठा दावा किया है प्रतिवादीगण को खातेदारी की भूमि को समतल कराने का हमे पूर्ण अधिकार है दिनांक 05.04.2009 को एल.एन.टी. लेकर आना वादीगण के द्वारा मना करना आदि तथा गलत दर्ज किये है वादीगण ने वादकरण गठने के लिए झूठे तथ्यों का सहारा लिया है वादीगण को भी अपनी भूमि की नाप करने का पूर्ण अधिकार है वादीगण दावा लाने के बजाय अपनी भूमि का सर्वे करवा सते है और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर दावा ला सकते थे किन्तु वादीगण ने जानबूझ कर इस रेमेडी का उपयोग नही कया है औश्र दुर्भावना पूर्वक प्रतिवादीगण को परेशान करने की गरज से झूठा दावा लेकर आये है वादीगण के अधिकारो पर कोई कुठराधात नही है। अन्त में दावा वादीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वादीगण व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाधक बिन्दु विरचित किये गये।

1. आया आराजीयात खसरा नम्बरान मु वादपत्र पैरा न01 वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात है।------ वादी
2. आया प्रतिवादीगण वादीगण की आराजीयात मुन्दर्जे वादपत्र पैरा न0 1 व नजरीनशा में वरंग सुर्ख से दिखायी आरजीयात में न ता एल.एन.टी.चलाने न चलाकर विही खोदे न समतल कराये।----- वादी
3. आया इस दावे की आड में वादीगण प्रतिवादीगण की आराजी खसरा नम्बरा 5205 में अतिक्रमण करना चाहते है। ------- प्रतिवादीगण
4. अनुतोष

वाद विवाधक बिन्दु वादीगण साक्ष्य ली गई। वादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी पी.डब्लू आई गोपाल लाल के वयान लेखवद्व कराये है एवं नजरी नक्शा प्रर्दश न01 व जमाबन्दी सम्बत 2064 से 2067 प्रर्दश 2 व नक्शा ट्रेस प्रर्दश 3 को प्रदर्शित किया है। साक्ष्य वादीगण बन्द वी गया।

साक्ष्य प्रतिवादी ली गयी । प्रतिवादी डी.डब्लू.आई वेवेन्दुआ शपथ पत्र पेश हुआ जो जिरह के लिए उपस्थित नही होने के कारण साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गयी ।

वहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादीगण का वहस में कहना है कि वादग्रस्त आराजीयात के खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसमें प्रतिवादीगण वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शा वरंग सुर्ख प्रर्दश–1 में जवरन एल.एन.टी. मशीन से खुदाई करने पर आमादा है वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नम्बर 5205 ता 5207 सही हुयी है और प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि को अपनी वताने लगे है औश्र जवरन वादीगण की खातेक व कब्जे की भूमि में एल.एन.टी. चल कर खुदाई करने की ऐलनिया कहा है व धमकी दी है प्रतिवादीगण की इस अनाधिकार कार्यवाही से

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.05.25 16:55:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हक हकूक वादीगण पर आधात है इसलिए प्रतिवादीगण को स्थायी निषेघाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

वकील प्रतिवादीगण का वहस में कथन है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के खातेदारी व कब्जे की है जो खसरा नम्बर 5205 का हिस्सा है वादीगण के खातेदारी की भूमि अलग है और वादीगण मालिक भूमि पर काबिज है। वादीगण प्रतिवादीगण की भूमि को दवाना चाहते है और इसी उरेशा से दावा वदनीयति से पेश किया है। वादीगण को अपनी भूमि की नाप कराने का पूर्ण अधिकार है। दावा ने दुर्भावना पूर्वक प्रतिवादीगण को परेशान करने कको यह असत्यत तथ्यों पर पेश किया है वादीगण दावा खारिज किया जावे।

वहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीव नक्शा ट्रेस एवं साक्ष्य का विवेचन किया गया प्रवल का तनवीवार विवेचन किया जाना उचित है तनकीवार विवेचन किया प्रकार है।

विवधक संख्या 01 को सावित करने का भार वादीगण पर है इस सम्बन्ध में वादीगण ने नकल जमाबन्दी सम्वत 2064 से 2067 प्रर्दश–2 प्रस्तुत की है जिसमें वादग्रस्त आराजी दर्ज वाद पत्र मद न01 वादीगण के खातेदारी में दर्ज है जिस पर अपना कब्जा होना कथन किया है। जिसके खण्डन में प्रतिवादीगण में कोई ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे वादीगण के खातेदारी भूमि में उनका कोई कब्जा व हक हो। अतः विवाधक संख्या 01 वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व तय कर निर्णीत किया जाता है।

विवाधक संख्या 2 को भी सावित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य व स्वतंत्र गवाह साक्ष्य प्रस्तुत नही की है केवल वादी पी.डब्लू.आई. गोपाल ने इस बावत मौखिक साक्ष्य दी है कि प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि में जवरन एल.एन.टी. चलाकर खुदाई करने पर आमादा हैं जिसके खण्डन में प्रतिवादीगण द्वारा कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही की ह। वादीगण ने प्रतिवादीगण की भूमि में एल.एन.टी.चलाने की धमकी दी इस बावत कोई दस्तावेजी साक्ष्य व स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत नही की है अतः विवाधक संख्या 02 वादीगण के विरूद्व प्रतिवादीगण के पक्ष में तय कर निर्णीत किया जाता है।

विवाधक संख्या 03 को सावित करने का भार प्रतिवादीगण पर है प्रतिवादीगण ने इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य सवूत पत्रावली में प्रस्तुत नही किया है जिससे वादीगण संख्या नम्बर में अतिक्रमण करना चाहते हो खसरा नम्बर 5205 की जमाबन्दी थी प्रतिवादीगण ने पत्रावली में प्रस्तुत नही की है और मौखिक साक्ष्य दी है। अतः विवाधक सख्या 03 प्रतिवादीगण के विरूद्व वादीगण के पक्ष्ज्ञ मं तय कर निर्णीत किया जाता है।

विवाधक संख्या 04 अनुतोष है विवाधक सख्या 02 के विवेचन से वादीगण अपने वादपत्र को सावित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही की है और मौखिक साक्ष्य में कोई स्वतंत्र गवाह पेश नही किया है इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व कोई स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नही है। द्वारा वादीगण चलने योग्य नही है। अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना– अपना वहस करें। तद्दनुसार पर्चा निर्णय जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.05.25 16:55:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner